

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक /विस/स्था/2017

रायपुर, दिनांक /1/2017

कार्यालय- सूचना

आदेशानुसार, सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन 31 दिसम्बर, 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये संपत्ति विवरण प्रस्तुत किया जाना है ।

अतः विधान सभा सचिवालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संपत्ति विवरणी प्रपत्र स्थापना शाखा से प्राप्त कर तथा आवश्यक पूर्ति उपरांत 23 जनवरी, 2017 तक स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।

आदेश से,

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 06/01/2017

पृ.क्रमांक 33 /वि.स./स्था./2017
प्रतिलिपि:-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सचिव को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सहायक को मान. प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. सर्व संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के सूचनार्थ ।
06. सर्वर कक्ष

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा